



124

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

2016 & 3828-11-16

1. मोहित भार्गव पुत्र श्री पुरुषोत्तम भार्गव,
2. रोहित भार्गव पुत्र श्री पुरुषोत्तम भार्गव, दोनो निवासीगण- वाई का 5 नरवर, तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

---आवेदकगण

विरुद्ध

1. काशीराम पुत्र श्री लख्खूराम,
2. देवेन्द्र पुत्र श्री लख्खूराम,
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री लख्खूराम, जाति- बाढ़ई, समरत निवासीगण-

---अनावेदकगण

श्री. विनायक भार्गव को
द्वारा आज दि. 7-11-16 को
प्रस्तुत

7-11-16
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

469
7-11-16

विनायक भार्गव
पुनरीक्षण
7-11-2016

न्यायालय तहसीलदार, तहसील नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2015-16-अ70 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2016 एवं संहिता की धारा 250 के अधीन की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, ग्राम जैतपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 759 रकबा 0.230 हे. एवं 785 रकबा 0.50 हे. पूर्व भूमि स्वामी पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन से रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा आवेदकगण की मां ने क्रय की थी। क्रय की गयी भूमि पर आवेदकगण की मां को कब्जा प्रदत्त किया गया था। तदनुसार आवेदकगण अपनी मां द्वारा क्रय की गयी भूमि पर अपना कृषि कार्य करते हुये चले आ रहे है।
2. यहकि, अनावेदक क्र. 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष म.प्र. शासन के पक्षकार बनाते हुये सर्वे क्रमांक 754 रकबा 1.69 हे. स्थित ग्राम जैतपुर के सीमांकन हेतु आवेदन किया गया था तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदकगण की मां एवं अनावेदकगण सख्खी कृषक हितवन् व्यक्तियों को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3828/दो/2016

जिला- शिवपुरी

मोहित भार्गव आदि विरुध काशीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियंतों आदि के नाम
28/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 146/2015-16/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

(आर0के0 जैन)
28/5/19
सदस्य